गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

- 40 हजार रुपये का लगा अर्थदंड, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
- अर्थदंड अदा न करने पर दोषी भुगतना होगा चार माह का अतिरिक्त कारावास

संसू, जागरण • श्रावस्ती: गैर इरादतन हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी चार माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी गुड्डई 12 सितंबर वर्ष 2021 को कोड़री गांव स्थित ब्रह्म स्थान पर अपनी मां के साथ परिक्रमा करने गए थे। इसी दौरान वह भागकर रायपुर बिलेला गांव निवासी अज्जम के घर में घुस गया। इस पर अज्जम ने उसे घर से दौड़ाया तो वह भागकर

जूनियर हाईस्कूल पहुंच गया। पीछे से पहुंचे अज्जम ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। इससे उसके सिर में गंभीर चोटे आईं। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के ससुर भिनगा क्षेत्र के पूरे आधारी गांव निवासी उदित की तहरीर पर सोनवा थाने में आरोपित अज्जम के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अवनीश गौतम ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है और उसे एससी/एसटी एक्ट के आरोपों में दोषमुक्त कर दिया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रियान्वयन पर विशेष बैठक आयोजित

पायनियर संवाददाता। श्रावस्ती

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं न्यायालय में मुकदमों की सुदृढ़ पैरवी के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान ऑपरेशन कन्विक्शन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए जघन्य एवं महत्वपूर्ण मामलों की सघन पैरवी की समीक्षा की गई।

प्रत्येक थाने में पैरवी अधिकारी नियुक्त करने तथा मुकदमों के त्वरित एवं प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया गया कि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों एवं गवाहों का समुचित प्रबंधन किया जाए तथा उन्हें बिना किसी विलंब के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। थाना स्तर पर नियुक्त पैरोकारों के कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते हुए थाना प्रभारी एवं न्यायालय के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय से प्राप्त कुर्की वारंट, गिरफ्तारी वारंट, वसूली वारंट एवं सम्मनों को उसी दिन थाने के रोजनामचा में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लंबित मुकदमों के कारणों की पहचान कर उनके त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों का सशक्त विरोध करते हुए उऊळठर एवं क्ठखर पोर्टल के माध्यम से उनका आपराधिक इतिहास संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।